अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ

क्रमांकः–एफ.2( )लेखा/बजट–मा.भुग./आईसीडीएस/18/162182-518 जयपुर, दिनांक 5/07/18

उपनिदेशक/बाल विकास परियोजना अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त (राजस्थान)

विषय :–मानदेय कर्मियों के मानदेय, का समय पर भुगतान करने बाबत्।

सन्दर्भः–विभाग का समसंख्यक पत्र क्रमांक 201–33 दिनांक 01.01.2018, 37238–271 दिनांक 23.02.2018, 34970–002 दिनांक 27.02.2018, 38871–903 दिनांक 06.03.2018 एवं 100592 दिनांक 06.06.2018

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मानदेय कर्मियों के मानदेय का भुगतान नियमित रूप से किये जाने हेतु समय–समय पर निर्देश जारी किए जाते रहे है एवं नियमित प्रगति से अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत कराने के भी निर्देश है। इसके उपरांत भी परियोजना कार्यालयो द्वारा नियमित भुगतान नहीं किया जा रहा है एवं आप द्वारा पर्यवेक्षणीय दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन भी नहीं किया जा रहा है।

नियमित भुगतान हेतु पूर्व में शासन सचिव, मबावि के पत्र क्रमांक 48567–903 दिनांक 12.5.11 एवं प्रमुख शासन सचिव, मबावि के पत्रांक 124099–402 दिनांक 5.9.13 से "वेतन बिल कोष कार्यालय में प्रस्तुत करने से पूर्व वेतन बिल पर यह प्रमाण–पत्र अंकित किया जाना आवश्यक है कि परियोजना कार्यालय के अधीन कार्यरत मानदेय आधारित कर्मिकों के मानदेय बिल कोष कार्यालय को पारित करने हेतु प्रस्तुत कर दिए गए है"। उक्त निर्देशों के उपरांत भी नियमित रूप से भुगतान नहीं किया जाना खेदजनक की स्थिति है जबकि विभाग द्वारा मानदेय मद के अंतर्गत आपके अधीन कार्यालयों को पर्याप्त बजट आवंटित किया हुआ है।

अतः अविलम्ब मानदेय कर्मियों को मानदेय का भुगतान कर निम्न हस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावे, भविष्य शासन सचिव एवं प्रमुख शासन सचिव, महिला बाल विकास विभाग को आदेशों की कठोरता से पालना की जावे, अन्यथा की स्थिति में आपकी जिम्मेदारी होगी।

निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान जयपुर।

क्रमांकः–एफ.2( )लेखा/बजट–मा.भुग./आईसीडीएस/18/ 162519-558 जयपुर, दि0 5/09/2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. कोषाधिकारी .... को भेजकर निवेदन है कि शासन सचिव, मबावि के पत्र क्रमांक 48567–903 दिनांक 12.5.2011, प्रमुख शासन सचिव, मबावि के पत्रांक 124099–402 दिनांक 5.9.2013 एवं निदेशालय कोष एवं लेखा के पत्र क्रमांक 9715–9716 दिनांक 31.03.2009 की बाल विकास परियोजना के वेतन बिलों की उक्तानुसार आदेशों की पालना सुनिश्चित करते हुये पारित करावे।
2. एसीपी मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड बाबत्।

वित्तीय सलाहकार
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

D:\Office Work\Letter ICDS\Letter Hindi.docx